अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

उपायुक्त–सह जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

सुमित्रा देवी खण्डेवाल
बनाम
भोला सिंह वगै0

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :–**01 / 2017–18**

वाद का प्रकार :– रेभेन्यु रिवीजन (Revenu Revision)

अपीलार्थी श्रीमती सुमित्रा देवी खण्डेवाल पति स्व0 नगर नन्द खण्डेवाल पता मेन रोड़ गुमला के उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला द्वारा अपील विविध अपील वाद सं0 – 30 / 2015–16 में दिनांक – 23.01.2017 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील किया गया है।

अपीलार्थी का पक्ष

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि खाता नं0–69 प्लॉट नं0–19 रकबा 1.25 एकड़ मौजा–घोघरा थाना–गुमला जिला– गुमला में अवस्थित है। प्रष्नगत भूमि को सियाराम चौधरी द्वारा खतियानी रैयत के वारिशों महंत सिह पिता–बज्रनाथ सिंह एवं भोला सिंह पिता–सोबरन सिंह से उचित प्रतिफल की राशि देकर निबंधित बिक्री पत्र संख्या 573 दिनांक 18.02.1985 के द्वारा खरीद की गई है। जमीन क्रय के बाद सियाराम चौधरी उस जमीन पर दखल में आये तथा अंचल कार्यालय से नामान्तरण कराकर सरकार को मालगुजारी रसीद अदा करते रहे। अंचल कार्यालय में नामान्तरण के समय उत्तरवादी संख्या –01 आपत्ति भी किये थे कि उनको जमीन का सारा पैसा नहीं मिला है। परन्तु उनके आपत्ति आवेदन को जांचोपरान्त खारिज कर दिया गया तथा विपक्षी सं0–02 के द्वारा उक्त नामान्तरण के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं किया गया। सियाराम चौधरी द्वारा वादग्रस्त जमीन को निबंधित बिक्री पत्र संख्या 2919 दिनांक 08. 12.2012 के द्वारा आवेदिका सुमित्रा देवी को हस्तातंरित कर दिया। जमीन का बिक्रय पत्र लिखाने के पश्चात आवेदिका सुमित्रा देवी नामान्तरण वाद संख्या–1212 आर 27 / 2012–13 द्वारा अपने नाम से नामान्तरण कराकर सरकार को मालगुजारी अदा करने लगी। नामान्तरण के काफी अवधि व्यतीत होने के बाद उत्तरवादीगण द्वारा जमाबंदी को निरस्त करने हेतु अंचल कार्यालय में जमाबंदी को निरस्त करने हेतु आवेदन दिया जिससे उनके आवेदन को अंचल अधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला के न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला द्वारा आवेदिका को बिना मौका दिये जमाबंदी को निरस्त करने का आदेश पाारित कर दिया गया। निम्न अपीलीय न्यायाल द्वारा आवेदिका का जमाबंदी रद्दीयतनामा पट्टा संख्या –1135 / 1986 दिनांक 20.04.1986 के आधार पर निरस्त की गई है जिसके द्वारा सियाराम चौधरी का बिक्रय पत्र सं0–18.02.1985 को रदद् किया गया था। प्रतिपादित विधि का सिद्वान्त है कि कोई भी बिक्री पत्र एकतरफा बिक्रेता द्वारा निष्पादित किए गये रदीयतनामा से रद्द नहीं होता है जब तक की न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाता है। विपक्षीगण द्वारा पुनः सियाराम चौधरी के द्वारा बिक्री की गई जमीन को पुनः

जयप्रकाश प्रसाद को आवेदिका के साथ धोखाधड़ी करते हुए बिकी किया जाना पूर्णतः अवैद्य है। जयप्रकाश प्रसाद के द्वारा आवेदिका को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा था तो अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला के न्यायालय में 144 द0प्र0 संहिता की कार्रवाई की गई जिसका वाद संख्या एम0 156/2015 पड़ा। जिसमें सारे दस्तावेजों को देखते हुए आवेदिका के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका का स्वत्व व दखल है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिभीजन वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज की छाया प्रति संलग्न किया गया है:–

1 दाखिल खारिज वाद संख्या 1 आर 27/85–86

2 निबंधित बिकी पत्र संख्या 573/1985

3 वाद संख्या एम0 156/15

4 सुमित्रा देवी को निर्गत भू–धारण प्रमाण पत्र की छाया प्रति

5 SC cases 21013 पेज 1063 की दाया प्रति

6 JCR2011(2)पेज 01 की छाया प्रति

उत्तरवादी का पक्ष :–

उत्तरवादी द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके द्वारा बहस नहीं प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क एवं दोनों पक्षों के समर्पित दस्तावेजो एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के नाम कायम जमाबंदी को रदीयत्नामा पट्टा के आधार पर बिना किसी सक्ष्म न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निरस्त किया जाना वैद्यानिक दृष्किोण से उचित प्रतीत नहीं होता हे साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी गुमला के न्यायालय में 144 द0 प्र0 स0 के तहत अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित भी किया गया है जो इस बात को संपुष्ट करता है कि वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलाथी का दखल– कब्जा है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिवीजन वाद को स्वीकृत किया जाता है ।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

21.08.22 21.08.22

उपायुक्त उपायुक्त

गुमला गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAUDAV
Date: 2022.11.04 16:32:42 +05:30
Location: 192.168.5.104

1003

प्रभारी पदाधिकारी
जिला ... शाखा,
गुमला